

संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व

रायपुर, छत्तीसगढ़

E-mail: deptt.culture@gmail.com, Website: www.cgculture.in
Tele.Fax.:0771-2234731(O), Phone No.: 0771-2537404(O)

किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण 2019

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर के अलंकरण की स्थापना की गई है। इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने “हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन” के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को प्रतिवर्ष “किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण” राशि रू. 10.00 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी। इस हेतु प्रविष्टियां/ अनुशंसाएं आमंत्रित है।

- (1) चयन समिति की अनुशंसा पर शासन द्वारा अंतिम रूप से घोषित एक व्यक्ति/संस्था को दस लाख रू. नगद और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
- (2) सम्मान के लिए निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती है।

क्र	आवेदक का नाम, पता, दूरभाष नं., ईमेल	जन्मतिथि एवं आयु	प्रस्तावक का नाम, पता, दूरभाष नं., ईमेल	आवेदक का निर्देशन के क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा	प्राप्त सम्मान/ पुरस्कार विवरण अन्तर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय	कार्य अनुभव का वर्ष	सम्मान हेतु सहमति पत्र संलग्न है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ।
 - हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी।
 - यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।
 - हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों, प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति एवं आडियो/वीडियो सी.डी./डीवीडी की प्रति।
- (3) लिफाफे में प्रविष्टियां भेजी जावें, उस पर “किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण 2019” अंकित किया जाना आवश्यक है।
 - (4) प्रविष्टियों के लिए अंतिम तिथि 05.10.2019 है।
 - (5) प्रविष्टियां अधोहस्ताक्षरकर्ता को रजिस्टर्ड डाक/ Website: www.cgculture.in में प्रेषित करें।
 - (6) प्रस्तुत की गई प्रविष्टियां वापस नहीं की जायेंगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्रचार मान्य नहीं होगा।
 - (7) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों व अनुरूप पाए।
 - (8) उक्त सम्मान के संबंध में विस्तृत जानकारी Website: www.cgculture.in से प्राप्त किया जा सकता है।


संचालक

संस्कृति एवं पुरातत्व